न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला – जोधपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :–श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 131/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/229

प्रार्थीगण

1. नगाराम गोद पुत्र रामुराम निवासी बारनाउ तहसील चामू जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चामू जिला जोधपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम वास्ते रेकर्ड दुरस्ती</u>

अधिवक्तागण :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री लुम्बाराम चौधरी उपस्थित।
2. अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 11/03/2025

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैः–

प्रार्थी नगाराम जो रामुराम व चम्पा का गौद पुत्र है स्वर्गीय रामुराम पुत्र मेसाराम उर्फ मेहराराम उर्फ मेवाराम द्वारा प्रार्थी को दिनांक 13.01.2011 को जरिये रजिस्टर्ड गोदनाम दो गवाहो की उपस्थिति मे गौदनामा निष्पादित किया गया था तब से प्रार्थी रामुराम का गौद पुत्र माना व जाना जाता है। प्रार्थी के गौद पिता रामुराम पुत्र मेसाराम उर्फ मेहराराम उर्फ मेवाराम के नाम से संयुक्त खातेदारी काश्त की कृषि भूमि ग्राम बारनाउ पटवार हल्का बारनाउ तहसील चामू मे स्थित खसरा नम्बर 154 रकबा 11.5335 हैक्टेयर है जिसमे गोद पिता के नाम से 1/9 हक व हिस्सा निहित है। उक्त खसरे मे प्रार्थी की रहवासिय ढाणी बनी हुई है जिसमे सहपरिवार निवास करते है। गौद पिता स्वर्गीय रामुराम का पुत्र मेसाराम उर्फ मेसाराम उर्फ मेहराराम उर्फ मेवाराम का स्वर्गवास दिनांक 23.05.2015 को हो चुका है। गौद माता चम्पा का स्वर्गवास दिनांक 21.03.2021 को हो चुका है। प्राथ्री अनपढ व्यक्ति है केवल मात्र अपने हस्ताक्षर करने जानता है इस कारण विधिक जानकारी नही होने से गोद पिता के नाम से दर्ज भूमि ग्राम बारनाउ के खसरा नम्बर 154 का नामांन्तकरण अपने नाम से दर्ज नही करवाया जा सका। प्रार्थी के पिता रामूराम पुत्र मेसाराम उर्फ मेहराराम उर्फ मेवाराम तीनो ही नाम दस्तावेजो मे दर्ज हो गये जबकि राजस्व रेकर्ड मे रामूराम पुत्र मेसाराम दर्ज है इस कारण प्रार्थी के नाम का राजस्व रेकर्ड नामान्तकरण दर्ज नही हो पा रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त खसरे मे नाम शुद्व करने का [illegible] किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर [illegible] नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया [illegible] किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे अंकित किया गया है कि [illegible] नम्बर 154 मे दर्ज खातेदार रामूराम पि. मेसाराम के स्थान पर रामूराम पि. [illegible] मेहराराम उर्फ मेवाराम [illegible] हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया रामूराम द्वारा पंजीबद्व गोद[illegible] मे रामूराम पि. मेहराराम [illegible] प्रमाण

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.12 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

पत्र मे रामूराम पि. मेवाराम है तथा जमाबन्दी मे रामूराम पि. मेसाराम है तीनो मे अलग–अलग नाम है। लोगो से पुछताछ करने पर बताया गया कि मेसाराम, मेहराराम, मेवाराम एक ही व्यक्ति है।

प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे बहस की गई। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दौहराते हुए वादग्रस्त आराजी मे नाम शुद्व करने का अनुरोध किया गया। प्रार्थी द्वारा अधिवक्ता द्वारा सहखातेदारो की सहमति प्रस्तुत की गई जो शामिल मिसल है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं वादग्रस्त आराजी ग्राम बारनाउ पटवार हल्का बारनाउ तहसील चामू मे स्थित खसरा नम्बर 154 रकबा 11.5335 हैक्टेयर के राजस्व रेकर्ड मे **प्रार्थी के गोद पिता रामूराम के पिता का नाम मेसाराम के स्थान मेहराराम** शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार के हिस्से मे किसी प्रकार का परिवर्तन नही किया जावे। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरे में नाम शुद्व करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

फैसला आज दिनांक 11/03/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

(भवानी सिंह)
पीठासीन अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2025.12.12 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner